मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-6-2/2019/58

भोपाल, दिनांक 31.12.2019

प्रति,

1. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   उद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
2. आयुक्त,
   उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
   मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

02
03-01-2020

विषय- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना लागू किये जाने के संबंध में।

राज्य शासन ने प्रदेश में व्यवस्थित रूप से उद्यानिकी के कार्य को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना (जिसे आगे योजना कहा जायेगा) लागू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2019-20 के बजट में इस योजना के मद में रूपये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्थानों पर उद्यानिकी क्लस्टर निर्मित किये जायेंगे। इन क्लस्टर में निम्न गतिविधियॉ अनुमत होंगी -

1. संरक्षित खेती के अंतर्गत फूलों की खेती.
2. संरक्षित खेती के अंतर्गत सब्जी एवं मसालों की खेती.
3. नर्सरी विकास :- प्लग टाइप सीडलिंग, नॉन प्लग टाइप सीडलिंग अंतर्गत पुष्प, सब्जी, मसाले, औषधि, शोभायमान पौधों का उत्पादन
4. Shed Net
5. Tissue Culture
6. विभाग द्वारा अनुमत अन्य गतिविधियॉ

क्लस्टर्स का निर्माण उद्योग विभाग के द्वारा विकसित औद्योगिक प्रक्षेत्रों तथा उद्यानिकी विभाग को आवंटित शासकीय भूमि पर किया जायेगा।

(1) प्रथम घटक - औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यानिकी क्लस्टर की स्थापना:-

इस घटक के अंतर्गत योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

1.1 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ऐसे विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में जो क्षेत्र उपयुक्त पाए जायेंगे उन पर संरक्षित उद्यानिकी क्लस्टर विकसित किया जाएगा।

1.2 औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (जिसे आगे निगम कहा जायेगा) द्वारा किया जाता है जिसमें सड़क, बिजली तथा पानी की सुविधा मुख्य रूप से शामिल होती है। इन विकास कार्यों पर निगम द्वारा जो भी व्यय किया जायेगा, उसका आंकलन कर राशि की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से किया जाएगा।

1.3 भूमि का स्वामित्व उद्योग विभाग का ही रहेगा। भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रारूप में आवंटित की जायेगी तथा उस पर उद्यानिकी विभाग के द्वारा अनुमत गतिविधियॉ करना अनिवार्य होगा।

1.4 भूमि आवंटन की शर्तों का पालन करवाना एवं उल्लंघन करने पर आवंटिती के विरूद्ध कार्यवाही करने का समस्त अधिकार उद्योग विभाग का होगा। इन अधिकारों का उपयोग वह उद्यानिकी विभाग के साथ समन्वय रखते हुए करेंगे।

1.5 चिन्हित क्षेत्र में आवेदन बुलाने तथा उपयुक्त आवेदनों का चयन करने का कार्य उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। आवेदन के लिए व्यक्ति, कम्पनी या विधिसम्मत रूप से पंजीकृत संस्थाएं पात्र होंगी। उनकी पात्रता संबंधी शर्तों का उल्लेख आवेदन बुलाते समय विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। चयनित आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक अनुदान राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।

1.6 अगर किसी आवेदक ने पूर्व में उद्यानिकी विभाग से कोई अनुदान प्राप्त कर उसका सदुपयोग किया हो तो वह इस योजना के अन्तर्गत आवेदन देने एवं अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

1.7 सामान्यत: प्रत्येक आवेदक को न्यूनतम एक एकड़ तथा अधिकतम ढाई एकड़ भूमि आवंटित की जायेगी।

1.8 आवंटित भूमि का प्रीमियम रूपये 5.00 लाख प्रति एकड़ तथा उसका वार्षिक भू-भाटक रू 2,500/- प्रति एकड़ होगा।

1.9 चिन्हित क्षेत्र में कॉमन सर्विस एरिया भी विकसित किया जा सकेगा। इस विकास में होने वाला व्यय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से ही किया जाएगा। इस विकसित क्षेत्र में भूखण्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को सामान्यत: उन्हीं दरों एवं शर्तों पर दिया जाएगा जो उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के नियमों में प्रावधानित हैं।

1.10 भूखण्ड पर उद्यानिकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए पानी की व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी की प्रदाय दर दो रूपये प्रति क्यूबिक मीटर होगी। निगम की निर्धारित दरों तथा उपरोक्त दर के अन्तर की राशि का भुगतान उद्यानिकी विभाग द्वारा निगम को योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से किया जाएगा। पानी की दर प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में बढ़ायी जा सकेगी परन्तु ये बढ़ोत्तरी 20 प्रतिशत से अनधिक होगी।

1.11 उद्यानिकी क्लस्टर में प्रचलित दरों पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी। प्रचलित दर का अर्थ संबंधित गतिविधि के लिए लागू टेरिफ ऑर्डर से होगा। अगर प्रचलित दरों पर कोई अनुदान दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो ऐसा अनुदान वित्त विभाग की सहमति से उद्यानिकी विभाग योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट आवंटन में से स्वीकृत कर सकेगा।

1.12 उद्यानिकी क्लस्टर का वार्षिक रखरखाव एवं संधारण उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए रूपये 5,000/- प्रति एकड़ का संधारण शुल्क प्रत्येक आवंटिती से लिया जा सकेगा। प्रचलित संधारण शुल्क तथा उक्त रूपये 5,000/- के अन्तर की राशि का भुगतान उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट आवंटन से किया जा सकेगा।

(2) द्वितीय घटक - राजस्व भूमि पर उद्यानिकी क्लस्टर की स्थापना:-

2.1 इस घटक के अंतर्गत क्लस्टर के लिए सामान्यतः 25 एकड़ से कम भूमि का चयन नहीं किया जाएगा।

2.2 उद्यानिकी क्लस्टर को विकसित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

2.2.1 उद्यानिकी विभाग द्वारा ऐसी शासकीय भूमि का चयन किया जायेगा जहां क्लस्टर विकसित किया जाना युक्तियुक्त हो।

2.2.2 उदयानिकी विभाग को ऐसी चयनित शासकीय भूमि, संभाग मुख्यालय वाले जिला मुख्यालय पर संभागायुक्त के अनुमोदन से (भोपाल को छोडकर- भोपाल में राज्य शासन के अनुमोदन से) जिला कलेक्टर द्वारा तथा अन्य स्थानों पर जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकेगी।

2.2.3 चयनित हितग्राहियों को प्रोटेक्टेड हार्टीकल्चर की गतिविधियों के लिये भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। आवंटन की शर्तें घटक एक के समान होंगी परन्तु इसे उद्यानिकी विभाग प्रशासित करेगा।

2.2.4 भूमि को विकसित करने के लिये एक अभिन्यास बनाया जायेगा तथा उसके अनुरूप आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जायेगी।

2.2.5 आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने से अभिप्राय है कि आवश्यकतानुसार सडक, पानी, विद्युत, कोल्ड रूम, राईपनिंग चेम्बर, कान्फ्रेंस रूम, आफिस आदि जैसी सुविधाओं का निर्माण करना।

2.2.6 पात्र हितग्राहियों को एक एकड़ से ढाई एकड़ तक का भूखण्ड आवंटित किया जायेगा।

2.2.7 उद्यानिकी विभाग चयनित भूमि का विकास उद्योग विभाग अथवा अन्य किसी योग्य शासकीय संस्था के माध्यम से करवाएगा।

2.2.8 आवेदकों का चयन, आवंटन की शर्तें, क्षेत्र का संधारण, जलप्रदाय, विद्युत प्रदाय तथा कामन सर्विस एरिया के विकास के प्रावधान वही होंगे जो घटक एक में प्रावधानित हैं।

3/ दोनों विकल्पों के अन्तर्गत उद्यानिकी क्लस्टर विकसित किये जाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए उपरोक्त नीतिगत निर्णयों के अध्यधीन समस्त आवश्यक ऑपरेशनल बिन्दुओं पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
3. प्रमुख सचिव, उर्जा
4. प्रमुख सचिव, कृषि
5. प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
6 आयुक्त, उद्यानिकी- सदस्य सचिव

समिति किसी भी अन्य सदस्य को अथवा विषय विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

3.2 म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में जो भी संशोधन उद्यानिकी क्लस्टर को निर्मित करने के लिए आवश्यक होंगे, भूखण्ड जिस प्रारूप में आवंटित किया जायेगा, को समिति अनुमोदन करेगी। आवंटन की अवधि 30 वर्ष होगी।

4/ उद्यानिकी विभाग प्रत्येक उद्यानिकी क्लस्टर में विभिन्न श्रेणियों यथा - किसान, कंपनी, अन्य पंजीकृत संस्थाएं एवं शिक्षित बेरोजगार आदि के लिए यथोचित भूखण्ड आरक्षित कर सकेगा। आवेदकों को चयनित करने के मापदण्ड एवं प्रक्रिया विभाग निर्धारित करेगा।

5/ योग्य एवं सक्षम आवेदकों का चयन करने की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के आवेदकों को उपयुक्त राशि की परफारमेंस गारण्टी देने की व्यवस्था की जा सकेगी।

6/ उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

कमांक एफ 19–90/2019/1/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देश कमांक एफ 6–2/2019/58 दिनांक 30/11/2019 जो कि मंत्रि–परिषद आइटम न. 11 दिनांक 11/12/2019 में लिये गये निर्णय के तारतम्य में लिये गये हैं, के कियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार अन्तर्विभागीय समिति गठित करता है :–

1	मुख्य सचिव	– अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	– सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	– सदस्य
4	प्रमुख सचिव, उर्जा विभाग	– सदस्य
5	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग	– सदस्य
6	प्रमुख सचिव, उद्ययोग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	– सदस्य
7	आयुक्त, उद्यानिकी	– सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना के नीतिगत निर्णय के अधीन समस्त ऑपरेशन बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाने के लिए सक्षम होगी।

समिति मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक एवं भूमि, भवन नियम प्रबधन 2015 मे ऐसे समस्त संशोधनों का अनुमोदन कर सकेगी जो उद्यानिकी क्लस्टर के लिए अनुमोदित करने के लिए आवश्यक होगा। चयनित आवेदकों को जिस प्रारूप में भूमि आवंटित की जायेगी, उसी प्रारूप में ही समिति के द्वारा अनुमोदित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(विकास मिश्रा) 26/12/19
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 19–90/2019/1/4 भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि :–

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
5. उप संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव 26.12.19
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग